कुढ़नी :— 631/21

जी0 आर0 :— 2735/21

25.09.21 आवेदक अभियुक्तगण रीता देवी, विकास राय उर्फ विकास कुमार, इनर देव राय की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी। आवेदन को परिचालित किया गया।

सुना। जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झुठा केस में गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाया गया है। यह वाद कुढ़नी थाना कांड संख्या 546/21 का पलटा वाद है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगायी गयी सभी धारायें जमानतीय है, शिवाय 406 भा0 द0 वि0 के, जो वाद को गैरजमानतीय बनाने के नियत से जोड़ी गयी प्रतीत होती है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त कुढ़नी थाना कांड संख्या 631/21 अन्तर्गत धारा 341, 323, 406, 504, 506, 34 भा0 द0 वि0 में नामित है। आवेदक अभियुक्तों के उपर सूचक के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर गाली—गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। यह वाद कुढ़नी थाना कांड संख्या 546/21 का पलटा वाद है। स्वयं सूचक ने अपने प्राथमिकी में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने कुढ़नी थाना में जाकर केस कर दिया तो हम अपनी सुरक्षा में यह केस कर रहे है। वाद अभी अनुसंधानरत है। ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्तों को रूपया 7000/ के दो प्रतिभू तथा समान राशि के दो जमानतदारों सहित बंधपत्र दाखिल करने पर औपबंधिक रूप से आरोप पत्र दाखिल होने तक जमानत पर मुक्त किया जाये।

लेखापित

ह0/—

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम,

(पश्चिमी), मुजफ्फरपुर।

बाद में आवेदक अभियुक्तों की ओर से बंध पत्र साथ ही जमानतदारों की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरान्त सही पाकर औपबंधिक रूप से आरोप पत्र दाखिल होने तक स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0/—

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम,

(पश्चिमी), मुजफ्फरपुर।